वृद्धावस्था पें□ान योजना
स्वीकृति एवं वितरण प्रकिया

(क) – पात्रता की भार्ते :–

1 – आवेदक की उम्र 60 वर्श या अधिंक हो ।

2 – वार्शिक आय रू0–12000 से अधिक न हो ।

3 – ग्रामीण क्षेत्र मे समस्त श्रोतों से 3.25 एकड से अधिक भूमि न हो ।

4 – बालिंग पुत्र या पौत्र न हो ।

5 – यदि बालिग पुत्र या पौत्र हैं तो भरण पोशण करने में सक्षम न हो
तथा बालिंग पुत्र या पौत्र प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी कर्मचारी न
हो ।

(ख) – लाभार्थी चयन प्रकिया:–

ग्रामीण क्षेत्र :– ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उपर्युक्त पात्रता धारकों की वरीयता सूची तैयार की जाती है । जिसमें ऐसे व्यक्तियों को वरीयता की सूची में ऊपर रखा जायेगा जिनके बालिग पुत्र या पौत्र नहीं हैं या उम्र अधिक है । नवीन पें ान की स्वीकृति नवीन लक्ष्य प्राप्त होने अथवा मृतक अपात्र के कारण ग्राम पंचायत में होने वाली रिक्ति के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा तैयार वरीयता सूची के व्यक्तियों के आवेदन पत्र भरा कर उस पर उम्र, आय, बालिग पुत्र या पौत्र सम्बन्धी आख्या ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दी जाती है एवं वरीयता सूची का क्रमांक भी अंकित किया जाता है । तदनानुसार ग्राम प्रधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है ।

नगरीय क्षेत्र :– नवीन पें ान हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा किया जाता है । आवेदन पत्र पर उम्र के सम्बन्ध में आख्या चिकित्साधिकारी द्वारा दी जाती है । भोश अन्य

पात्रता बिशयक आख्या लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा दी जाती है । तत्प चात आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को अगसारित किया जाता है । जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नगरीय क्षेत्र में रिक्ति का परीक्षण कराकर उपजिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत कराया जाता है ।

(ग) पें□ान वितरण प्रकिया :–

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाभार्थियों को पें ान का भुगतान दो छमाही किस्तों में लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक अनुसूची द्वारा अन्तरित की जाती है तथा अन्तरण सूची की एक प्रति सूचनार्थ खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है ।

(घ) पें□ान की दर :–

01–04–07 से वृद्धावस्था पें ान की दर में वृद्धिकर दी गयी है, जो रू0–150 से बढ.कर रू0–300 कर दिया गया है । प्रथम छमाही रू0–1800 माह सितम्बर तक एवं द्वितीय छमाही रू0–1800 दिसम्बर तक अंतरित की जाती है ।

(के0 एस0 मिश्र)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सुल्तानपुर